28.10.2025 अधिवक्ता वादी श्री इन्द्रजीत शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री नफीस अहमद श्री मुश्ताक खां, श्री अजीज अली, श्री जयन्त कुमार जैन उपस्थित। गत पेशी पर लंबित प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.04.2025 (जो प्रतिवादी संख्या-8 की ओर से पेश किया गया) एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई।

1. प्रतिवादी संख्या-8 की ओर से दिनांक 05.04.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अबेटमेंटः-

उक्त प्रार्थना पत्र बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-8 ने तर्क दिया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-4 गिरवर सिंह की मृत्यु दिनांक 25.05.2024 को हो चुकी है, जिसकी सूचना प्रतिवादी संख्या-4 के अधिवक्ता ने न्यायालय में दिनांक 17.08.2024 को दे दी है। इसके पश्चात विहित समयावधि में प्रतिवादी संख्या-4 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लाये जाने की कार्यवाही वादी की ओर से नहीं की गई। इस कारण वादी का वाद अबेट हो गया है। अतः वादी का वाद अबेट होने के कारण खारिज किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने जवाब में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या-4 के अधिवक्ता ने दिनांक 17.08.2024 को न्यायालय को प्रतिवादी संख्या-4 की मृत्यु की सूचना देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। प्रतिवादी संख्या-4 के अधिवक्ता ने मृतक प्रतिवादी

FORM NO.III
फर्द अहकाम (नियम 26)
अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू
दीवानी वाद संख्या-05/21 (CIS 18/21)
ललिता सोनी बनाम रामगोपाल व अन्य

संख्या-4 के विधिक वारिसान की कोई जानकारी वादी को नहीं दी। वादी द्वारा बार-बार प्रतिवादी संख्या-4 के गांव में जाने पर भी गिरवर सिंह के वारिसान की जानकारी नहीं दी जा सकी, जिस कारण वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या-4 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लाये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। दिनांक 14.08.2025 को मृतक प्रतिवादी संख्या-4 के गांव के किसी व्यक्ति ने उसके विधिक वारिसान की जानकारी दी तब वादी ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-4 गिरवर सिंह की मृत्यु दिनांक 25.05.2024 को होने एवं मृत्यु की सूचना दिनांक 17.08.2024 को दिए जाने के पश्चात भी वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या-4 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने के संबंध में विचाराधीन प्रार्थना पत्र पेश किए जाने तक कोई कार्यवाही नहीं की। प्रतिवादी संख्या-8 के अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति यह है कि प्रतिवादी संख्या-4 की मृत्यु होने के पश्चात विहित समयावधि में प्रतिवादी संख्या-4 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने की कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण वादी का वाद उपशमित हो चुका है। इस बाबत आदेश 22 नियम 4(3) में यह प्रावधानित किया गया है "जहां विधिक द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है, वहां वाद का, जहां तक वह मृत प्रतिवादी के विरूद्ध है, उप शमन हो जाएगा।" वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या-4 की मृत्यु के उपरान्त विहित समयावधि में उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने की कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त विधिक स्थिति के अनुसार वादी का पूर्ण वाद उपशमित नहीं होकर केवल प्रतिवादी संख्या-4 की हद तक ही उपशमित हुआ है। इस कारण वादी का सम्पूर्ण वाद जरिए उपशमन खारिज किए जाने योग्य नहीं है। चूंकि प्रतिवादी संख्या-4 की हद तक वादी का वाद उपशमित हो चुका है, इस कारण वादी प्रतिवादी संख्या-4 के विरूद्ध वांछित अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। दीवानी लिपिक वाद शीर्षक में प्रतिवादी संख्या-4 के आगे मृतक एवं प्रतिवादी संख्या-4 की हद तक दावा उपशमित होने का नोट अंकित करें। उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या-8 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1
झुंझुनूं

FORM NO.III
फर्द अहकाम (नियम 26)
अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू
दीवानी वाद संख्या-05/21 (CIS 18/21)
ललिता सोनी बनाम रामगोपाल व अन्य

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिताः-

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रकरण के प्रतिवादी संख्या-4 गिरवर सिंह पुत्र समुन्दर सिंह का देहान्त दिनांक 25.05.2024 को हो चुका है। उसके विधिक वारिसान प्रार्थना पत्र में वर्णित किरणा, पन्ने सिंह, सुशीला कंवर व सीमा कवंर हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या-4 गिरवर सिंह के अन्य कोई वारिसान नहीं है। वादीगण को पूर्व में प्रतिवादी संख्या-4 का देहान्त होने की जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी संख्या-4 के अधिवक्ता ने भी गिरवर सिंह की मृत्यु कब हुई, इसकी जानकारी नहीं दी तथा ना ही गिरवर सिंह के विधिक वारिसान के नाम पते बताए गए। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या-4 के विधिक वारिसान की जानकारी काफी प्रयास के बाद प्राप्त की और प्रार्थना पत्र जानकारी की रोज से अंदर मियाद प्रस्तुत किया। दौराने बहस तर्क दिया कि यदि न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र मियाद बाहर माना जाता है तो धारा 05 मियाद अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या-4 गिरवर सिंह के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2016 (1) DNJ (Raj) 393Ashok Kumar Vs Pawan Kumar प्रस्तुत किया।

इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या-8 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या- 4 गिरवर सिंह की मृत्यु दिनांक 25.05.2024 को होने के लगभग एक वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विहित समयावधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किए जाने के कारण प्रतिवादी संख्या-4 के संबंध में वादी का दावा अबेट हो चुका है। वादी ने अबेटमेंट को अपास्त करवाए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने का कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त Civil Appeal No. 6391/2010 Budh Ram & Ors. Vs Bansi & Ors. प्रस्तुत किया।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1
झुंझुनूं

FORM NO.III
फर्द अहकाम (नियम 26)
अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, मुकाम झुन्झुनूं
दीवानी वाद संख्या 05/21 (CIS 18/21)
ललिता सोनी बनाम रामगोपाल व अन्य

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-4 गिरवर सिंह की मृत्यु दिनांक 25.05.2024 को होना विवादित नहीं है। प्रार्थी/वादी ने प्रतिवादी संख्या-4 गिरवर सिंह की मृत्यु के संबंध अधिवक्ता प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत ने न्यायालय को दिनांक 17.08.2024 को सूचित कर दिया गया था। इसके पश्चात वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या-4 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने के संबंध में विहित समयावधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर दिनांक 14.08.2025 को यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रतिवादी संख्या-4 की मृत्यु दिनांक 25.05.2024 को हो जाने तथा उसकी मृत्यु की सूचना दिनांक 17.08.2024 को न्यायालय में दिए जाने के बावजूद भी प्रार्थी/वादी की ओर से विहित समयावधि में मृत प्रतिवादी संख्या-4 गिरवर सिंह के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या-4 की हद तक वादी का वाद स्वतः अबेट हो चुका है। प्रार्थी/वादी की ओर से लगभग एक वर्ष की देरी से वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या-4 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या-4 की हद तक उपशमन को अपास्त करवाए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। चूंकि प्रतिवादी संख्या-4 की हद तक वादी के वाद का उपशमन हो चुका है, ऐसी स्थिति में इस प्रक्रम पर प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-4 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है और प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता व धारा 05 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 18.11.2021 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 10.08.2021 दिनांक 6/1/25 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1
झुन्झुनूं